बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग,
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।

पत्रांक– टी 2/एम0ई0एस0––14/2013 (Part file)- 1354 पटना, दिनांक– 01.07.15

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
सभी संबंधित संस्थान/प्रतिष्ठान ।

विषय :– केन्द्र प्रायोजित एस0 डी0 आई0 योजनान्तर्गत एम0 ई0 एस0 के तहत भी0 टी0 पी0 स्थायी पंजीकरण करने के संबंध में ।

प्रसंगः– आई0टी0/विविध–01/2013–1740 दिनांक–25–06–2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि निम्नांकित संस्थानों/प्रतिष्ठानों को भी0टी0पी0 हेतु उपयुक्त पाया गया जो निम्नवत हैं :–

क0 सं0	संस्थान का नाम एवं पता	स्थाई भी0 टी0 पी0 नम्बर	अनुशंसित कोर्स कोड	ई–मेल/ दूरभाष संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	के0 के0 पॉकिलटेकनिक, बेरौटी, पो0–नेपुरा, जिला–नालंदा।	410270007	info@kkp0lytechnic.in 8986892131	MED-101.	
2	विघोतमा कन्सलटेनसी सर्विसेज प्रा0 लि0 मिश्रा कॉलोनी, खानका रोड, लल्लू पोखर, मुंगेर, बिहार–811021	410240006	Saurabh.mishra@vcsind.com 8603374772	ICT-701,702.	
3	दिशा स्कॉलरशिप एण्ड एजुकेशन प्रा0 लि0, सदर बाजार,जमालपुर, मुंगेर।	410240002	dishaeducationvtp@gmail.com 98529944949	ICT-701,703. BAN-101. SS-102 .	
4	ओशो इंटरनेशनल एजुकेशन, नया मोहम्मदपुर, कोइलवर, आरा, (भोजपुर)।	410290017	OSHOEDU13@GMAIL.COM 9204391191	MED-126. SS-102.	
5	ए0आई0आई0आर0एम0 गया रामानुज भवन द्वितीय तल्ला 371 ए0 पी0 कॉलनी, गया ।	410350006	asean_gaya@aiirm,org 9431263611	ICT-701,703. INS-101. RET-101,202.	
6	पवन सूत सेवा उत्थान केन्द्र, सुईया रोड, कटोरिया, पो+थाना– कटोरिया, जिला–बॉका	410230005	pawansuteswauthankendra@gmail.com 9304503999	ICT-701,702.	
7	रूद्रा डेवेलपमेन्ट फाउण्डेशन, ग्राम+पो0– गायघाट, जिला–बक्सर, 802130	410300008	rdforg2012@ gmail.com 7677575987	FAD-703,704. GAR-501,502	

उपर्युक्त वर्णित कुल–07 संस्थानों को स्कील डभलपमेन्ट इनिसिएटिव (एस0 डी0 आई0) योजनान्तर्गत मॉड्यूलर इम्प्लायबुल स्कील (एम0ई0एस0) के तहत भी0 टी0 पी0 घोषित करते हुए कॉलम–04 में वर्णित मॉड्यूल में संबंधित संस्थानों को प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

मॉड्यूलर इम्प्लायबुल स्कील के नये मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार Training Batch No (TBN) generate करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान देना अनिवार्य होगा :–

1. Bio-Metric System Install करने के उपरान्त मशीन का IMEI, Serial No साक्ष्य के साथ निदेशा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
2. एक मॉड्यूल में दो बैच तथा विभिन्न मॉड्यूल में कुल 06 बैच एक साथ प्रशिक्षण चलाने हेतु प्रत्ये संस्थान/प्रतिष्ठान को अनुमति दी जाती है।
3. किसी भी बैच में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम से कम 10 का होना अनिवार्य है।
4. इस योजना के तहत सभी भी0टी0पी0 को राज्य के आरक्षण नियमावली का पालन नियमानुसार करना अनि होगा ।
5. 30% महिलाओं को इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देना अनिवार्य है ।
6. प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत एवं अनुदेशकों की उपस्थिति 90 प्रतिशत अनिवार्य है।
7. इस योजना के तहत सभी भी0 टी0 पी0 को एक दिन में कम से कम 3 घंटा तथा अधिकतम 6 घंटा मॉडूल में प्रशिक्षण देना है साथ ही राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश लागू करना अनिवार्य है ।
8. प्रत्येक बैच के उर्त्तीण प्रशिक्षणार्थियों का 80 प्रतिशत प्लेसमेन्ट से संबंधित डाटा पोर्टल पर अंकित करने उपरान्त हीं प्रशिक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
9. इस योजना के तहत उर्त्तीण प्रशिक्षणार्थियों का बैचवार प्लेसमेन्ट, वेतन/ आय पोर्टल पर कम से कम प्रतिशत अंकित करना अनिवार्य होगा। जिन संस्थाओं द्वारा संबंधित डाटा पोर्टल पर 6 (छः) महीनों में तीन अधिक बैच का अंकित नहीं किए जाने पर अगला TBN का अनुशंसा नहीं किया जाएगा।
10. इस योजना के तहत स्थायी पंजीकृत भी0 टी0 पी0 यदि तीन माह के अन्दर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण क आरंभ नहीं करता है अथवा दो बैच की अवधि छः माह से ज्यादा होने की स्थिति में उनका पंजीयन रदद दिया जाएगा ।
11. वैसे modules जिनका प्रशिक्षण अवधि 300 घंटा या उससे अधिक है, उस मॉडूल में ट्रेनिंग देने के पूर्व So and Entrepreneurship skill module में ट्रेनिंग देना अनविार्य है साथ ही प्रशिक्षण से संबंधित सा निदेशालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
12. इस योजना के तहत यदि एक भी0 टी0 पी0 एक प्रशिक्षणार्थी का नाम एक से ज्यादा बैच में एक ही स अंकित करता है तो वैसी स्थिति में उक्त भी0 टी0 पी0 पंजीयन रदद कर दिया जाएगा ।
13. ट्रेनिंग कैलेण्डर बनाने एवं प्रशिक्षण प्रारंभ करने के बीच कम से कम एक सप्ताह का समय सुनिश्चित ताकि ट्रेनिंग कैलेण्डर का अनुमोदन प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व किया जा सके।
14. प्रशिक्षण समाप्ति के सात दिनों के अन्दर Assessment कराना अनिवार्य होगा, यदि कोई भी0टी0पी0 संस्था पॉच बैंचो में से तीन बैचों में इसका पालन नहीं नहीं किया तो वैसे भी0टी0पी0 संस्था के संबंधित module की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी ।

15. प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन हेतु नामित Assessor का मूल्यांकन की तिथि की सूचना प्राप्त होने पर Vocational Training Provider (VTP) द्वारा निदेशालय के साथ–साथ जिला नियोजन पदाधिकारी को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। Assessment के समय जिला नियोजन पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

विश्वासभाजन

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–टी 2/एम0ई0एस0–14/2013 (Part file)-1554 पटना, दिनांक– 01.07 2015.

प्रतिलिपि– सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण,
बिहार, पटना